मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.in **ईमेल आईडी - pdps.mpsamb@gmail.com**

क्रमांक/भावांतर/ (E-1108392)/ **भोपाल, हस्ताक्षरित दिनांक**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)।

भारसाधक अधिकारी / मंडी सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
_____ - _____ (समस्त)।

विषय - **रबी 2025-26 हेतु भावांतर योजना - सरसों हेतु कृषि उपज मंडियों में तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश।**

संदर्भ - **मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से जारी दिशा-निर्देश दिनांक 05/03/2026।**

उपरोक्त विषय में राज्य शासन से जारी दिशा-निर्देश संलग्न है। **रबी 2025-26 हेतु भावांतर योजना - सरसों**, दिनांक 23 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रही है।

हाल ही में संपन्न खरीफ 2025 में सोयाबीन हेतु भावांतर योजना के क्रियान्वयन से आप सभी भली भांति परिचित है। इसी क्रम में **रबी 2025-26 हेतु सरसों में भावांतर योजना** का क्रियान्वयन किया जाना है।

मंडी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व भारसाधक अधिकारी को सौंपा जाता है। भारसाधक अधिकारी, मंडी सचिव तथा अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से योजना के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के पालन में, योजना के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए-

1. **प्रारंभिक तैयारियां -**
   1. दिनांक 9 से 13 मार्च 2026 के मध्य मंडी स्तर पर भारसाधक अधिकारी की अध्यक्षता में कृषक प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, व्यापारियों, अन्य मंडी कृत्यकारियों की बैठक अनिवार्यतः की जाए।
   2. योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
   3. प्रत्येक मंडी में भावांतर भुगतान योजना हेतु **Help Desk** स्थापित किया जाए। इसमें दक्ष कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, जिसे योजना संबंधी सभी प्रावधानों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, ताकि वह कृषकों को योजना संबंधी जानकारी / सहायता प्रदान कर सके।
2. **मंडी प्रांगण में आवश्यक व्यवस्था -**
   1. मंडी प्रांगण में साफ-सफाई व्यवस्था एवं आवश्यक कृषक सुविधाएं दुरुस्त रखी जाए।
   2. मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तौल व्यवस्था, सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी, वीडियो रिकॉर्डिंग, निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा आवश्यक हार्डवेयर (कंप्यूटर, **POS** मशीन) की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता का पूर्व से ही आकलन किया जाए। आवश्यकता की पूर्ति हेतु, नियमों का पालन करते हुए शीघ्र कार्यवाही की जाए।
3. **योजना हेतु पात्रता -**
   1. **योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु <u>केवल मुख्य मंडी प्रांगण में ही सरसों विक्रय</u> करना अनिवार्य होगा। एमपी फार्मगेट एप / सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।**
   2. **इसके साथ ही पंजीयन के पते के आधार पर समान <u>जिले की मंडी समितियों के मुख्य मंडी प्रांगण में ही</u> विक्रय करना अनिवार्य होगा।**
   3. **योजना उप मंडी प्रांगण में लागू नहीं होगी।**

   उपरोक्त अनुसार पात्रता से कृषकों को पूर्व से ही अवगत कराया जाए।
4. **विक्रय संव्यवहार प्रक्रिया -**

   मंडी विक्रय प्रक्रिया ई-मंडी पोर्टल अनुसार पूर्ववत ही प्रवत्त रहेगी। सभी विक्रय संव्यवहार ई-मंडी पोर्टल पर **Real Time** में दर्ज किए जाएंगे। इसमें पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समस्त कार्य ई-मंडी पोर्टल पर ही किया जाना है। किसी भी प्रकार का मैनुअल कार्य एवं तदुपरांत पोर्टल पर प्रविष्टि पूर्णतः प्रतिबंधित है। अतः इस संबंध में

मंडी स्टाफ, तुलावटी एवं व्यापारियों को पूर्व से अवगत करा दिया जाए और समस्त कार्य केवल ई-मंडी पोर्टल पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. **मंडी प्रवेश प्रक्रिया -**

1. मंडी प्रांगण में प्रवेश के समय योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषक अथवा उसके निकटतम संबंधी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
2. प्रवेश गेट पर योजना अंतर्गत पंजीकृत कृषक का आधार नंबर प्राप्त कर ई-मंडी पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा जिससे संबंधित कृषक का पंजीयन क्रमांक (एक से अधिक पंजीयन होने पर समस्त पंजीयन क्रमांक) चयन हेतु उपलब्ध होंगे। पंजीयन क्रमांक चयन करने पर संबंधित कृषक का पंजीयन डाटा उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश के समय, अन्य आवश्यक प्रविष्टि के साथ ही वाहन क्रमांक भी अनिवार्यतः प्रविष्ट किया जाएगा। प्रवेश गेट पर प्रवेश पर्ची जारी करने की समस्त कार्यवाही, कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी, प्रवेश पर्ची जारी करने में **POS** मशीन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश पर्ची, अनुबंध पत्रक, तौल पर्ची, भुगतान पत्रक पर पंजीयन क्रमांक प्रिंट होगा।

6. **CCTV एवं वीडियो कैमरे से मॉनिटरिंग -**

1. मंडी प्रांगण में प्रवेश गेट पर सरसों के प्रत्येक कृषक (भावांतर योजना में पंजीकृत एवं गैर -पंजीकृत दोनों प्रकार के कृषक), कृषि उपज के वाहन एवं कृषि उपज का फोटो/ वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्यतः लिया जाएगा। इसके लिए प्रवेश गेट पर **CCTV** कैमरा एवं वीडियो कैमरा अनिवार्य स्थापित किया जाए।
2. प्रवेश गेट एवं प्रांगण की **CCTV** मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।
3. **CCTV** रिकॉर्डिंग एवं वीडियो रिकॉर्डिंग का विधिवत संधारण, सुरक्षित रखने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

7. **केवल नए सरसों पर ही भावांतर लाभ देय -**

1. प्रवेश के समय गेट पर तैनात मंडी कर्मचारी, सरसों नया है अथवा पुराना है इसकी पुष्टि प्रवेश के समय कृषक से पूछताछ एवं भौतिक परीक्षण द्वारा करें। यदि सरसों पुराना पाया जाता है तो उसकी प्रवेश पर्ची भावांतर योजना में जारी न करते हुए गैर भावांतर श्रेणी में जारी की जाए।
2. नीलामी के समय मंडी कर्मचारियों एवं नीलामी में भाग लेने वाले व्यापारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराना सरसों किसी भी स्थिति में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत नीलाम न हो। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के

विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

8. गुणवत्ता जांच -

कृषि उपज की गुणवत्ता **FAQ / Non-FAQ** जांच की जाए तथा नीलामी अंतर्गत कृषि उपज **FAQ** है अथवा **Non-FAQ** है? की अनिवार्य प्रविष्टि सावधानी के साथ सुनिश्चित की जाए। प्रविष्टि के उपरांत इसमें किसी प्रकार संशोधन मान्य नहीं होगा।

9. नीलामी प्रक्रिया-

पंजीकृत कृषक, गैर पंजीकृत कृषक अपनी-अपनी प्रवेश पर्ची के क्रमांक के अनुसार प्रांगण में प्रवेश करेंगे। किसी भी स्थिति में पंजीकृत कृषक और गैर पंजीकृत कृषकों की अलग-अलग लाइन नहीं लगाई जाएगी। पंजीकृत कृषि उपज, गैर पंजीकृत कृषि उपज की नीलामी में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा।

10. व्यापारी द्वारा विक्रय मूल्य का भुगतान -

1. पंजीकृत कृषकों को योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु, सरसों के विक्रय मूल्य का भुगतान, अपने पंजीकृत बैंक खाते में ही ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नगद भुगतान की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः इस संबंध में कृषकों एवं व्यापारियों को पूर्व से ही अवगत कराया जाए।
2. ऑनलाइन भुगतान की पुष्टि हेतु संबंधित व्यापारी से **UTR** नंबर की अनिवार्य प्रविष्टि कराई जाए तथा समय-समय पर बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया जाकर मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में खरीफ 2025 में सोयाबीन हेतु भावांतर योजना में की गई व्यवस्था अनुसार, विक्रय संव्यवहार दिनांक में ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान पूर्ण नहीं हो पाने की स्थिति में भी भुगतान पत्रक प्रविष्टि पूर्ण हो सकेगी और आगामी तीन दिवस में ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान का विवरण, संबंधित व्यापारी द्वारा प्रविष्ट किया जा सकेगा।
3. भुगतान केवल ऑनलाइन/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही मान्य होगा। नगद भुगतान दर्ज होने पर बाद में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अतः भुगतान पत्रक प्रविष्टि एवं सत्यापन सावधानी के साथ सुनिश्चित किया जाए।

11. मोडल भावों की जानकारी -

योजना अंतर्गत प्रतिदिन के मोडल रेट घोषित किये जायेंगे। अतः मोडल भाव

का व्यापक प्रचार – प्रसार हेतु मंडी गेट पर एवं नोटिस बोर्ड पर एवं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शन किया जाए।

12. निगरानी व्यवस्था -

1. व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के स्टॉक की निरंतर निगरानी की जाए।
2. कृषि उपज तुलाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए तौल काँटों का सत्यापन कराया जाए, तुलावटियों हेतु पाबंद किया जाए, सख्त निगरानी रखी जाए।
3. मंडी में सरसों के भावों की आज से ही समीक्षा प्रारंभ की जाए। मोडल भावों में कमी होने पर उपचारात्मक कार्यवाही के संबंध में पूर्व से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. मंडी अवकाशों के संबंध में कैलेंडर पूर्व से ही तैयार किया जाकर, सभी को समय-पूर्व अवगत कराया जाए। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराई जाए। अवकाश के बाद खुलने वाली मंडी, अवकाश से पहले खुलने वाली मंडी की जानकारी क्षेत्र के सभी किसानों को समय पूर्व दी जाए।
5. आंचलिक कार्यालय एवं मंडी समिति के स्तर पर 24x7 **Control Room** सक्रिय रखा जाए।

उक्त निर्देशों के साथ-साथ योजना संबंधी समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का भी अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

रबी 2025-26 हेतु सरसों में भावांतर योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सोयाबीन खरीफ 2025 - भावांतर भुगतान योजना की ही भांति इस योजना के क्रियान्वयन में सभी अधिकारी उक्तानुसार अपने कर्तव्यों का गंभीरता, जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही, लापरवाही अथवा उल्लंघन क्षम्य नहीं होगा।

Digitally signed by Kumar Purushottam
Date: 10-03-2026 12:38:38

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/भावांतर/ (E-1108392)/ भोपाल, हस्ताक्षरित दिनांक

प्रतिलिपि :- **कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर (समस्त)..........जिला समस्त............ ।
6. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
7. प्रभारी चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। पोर्टल पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तथा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल